2023/268

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला
सांतपुर तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 60 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.12.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 06.10.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 28.03.2023 को गांव व पटवार हल्का सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के तत्कालीन पटवारी श्रीमती सीमा मीणा व श्री विकास चारण तत्कालीन नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय आबूरोड द्वारा राजस्व रेकर्ड के विपरीत गलत/मिथ्या रिपोर्ट पेश करने बाबत् परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा की गई एवं उक्त जांच कार्यवाही में अपीलांट द्वारा 7 पृष्ठों में संलग्न 92 साक्ष्य दस्तावेज पेश किए थे। उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा की गई उक्त जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 06.10.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 28.03.2023 को गांव व पटवार हल्का सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के तत्कालीन पटवारी श्रीमती सीमा मीणा व श्री विकास चारण तत्कालीन नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय आबूरोड द्वारा राजस्व रेकर्ड के विपरीत गलत/मिथ्या रिपोर्ट पेश करने बाबत् परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा की गई एवं उक्त जांच कार्यवाही में अपीलांट द्वारा 7 पृष्ठों में संलग्न 92 साक्ष्य दस्तावेज पेश किए थे। उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा की गई उक्त जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner